2025:CGHC:37458–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 976/2021

1– विपिन कुमार जांगड़े पिता जगजीवन जांगड़े,आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी– ग्राम हरदी, चौकी–मल्हार, थाना मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

2– सुनील कुर्रे पिता शत्रुहन लाल कुर्रे, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी– ग्राम हरदी, चौकी–मल्हार, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– थाना प्रभारी, थाना मस्तूरी,जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण की ओर से	: श्री ऋषि राहुल सोनी एवं सुश्री इतु रानी मुखर्जी, अधिवक्तागण
प्रत्यर्थी की ओर से	: श्री सौम्या राय, पैनल अधिवक्ता

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा **रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति**

31.07.2025

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (पॉक्सो अधिनियम)क्रमांक 140/2017 में दिनांक 19.02.2021 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से उद्भूत है, जिसमें अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध किया गया है:–

धारा के अधीन दोषसिद्धि	दण्डादेश(सश्रम कारावास)	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में अतिरिक्त कारावास
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (घ)	20 वर्ष	रु. 10,000/–	06 माह
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 34	1 वर्ष	रु. 1,000/–	01 माह
भारतीय दण्ड संहिता की	2 वर्ष	रु. 1,000/–	01 माह

धारा 506 (ख)			
समस्त दण्डादेशों को साथ–साथ चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।			

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि पीड़िता अपने परिवार के साथ गाँव x में रहती है और कक्षा आठवीं में पढ़ती है। घटना के समय, पीड़िता के माता–पिता उत्तर प्रदेश में एक ईंट भट्टे पर जीविकोपार्जन के लिए गए हुए थे। उस समय, पीड़िता अपनी बड़ी बहन और भाइयों के साथ घर पर रहती थी। दिनाँक 18/11/2017 की रात 8:00 बजे, पीड़िता शौच के लिए अपने घर के आँगन में बने शौचालय में गई, तभी अभियुक्त विपिन और सुनील दोनों ने पीड़िता को पकड़ लिया। अभियुक्त विपिन ने पीड़िता का मुँह बंद कर दिया, फिर रूमाल से उसका मुँह और कपड़े से उसके पैर बाँध दिए। दोनों अभियुक्तों ने पीड़िता की पिटाई की और चाकू दिखाकर उसे धमकाया। इसके बाद, अभियुक्त विपिन ने उसका अंडरवियर (पैंटी) उतार दिया और अपना अंडरवियर भी उतार दिया और अपना लिंग उसके पेशाब वाले स्थान में प्रवेश करा दिया। इसके बाद, अभियुक्त सुनील ने भी अपना अंडरवियर उतार दिया और उसके पेशाब वाले स्थान में प्रवेश करा दिया। तभी दरवाजे की आवाज सुनकर पीड़िता के भाई–बहन चिल्लाए, तो अभियुक्त विपिन और सुनील दरवाजा खोलकर भाग गए। शोर सुनकर पड़ोसी भी घर आ गए। पीड़िता ने अपने पड़ोसी और अपने भाई–बहनों को घटना के बारे में बताया और मल्हार पुलिस चौकी में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट पर मल्हार पुलिस चौकी द्वारा एक ग्रामीण शिकायत (प्र.पी–1) दर्ज की गई। उक्त बिना नंबर की शिकायत को मस्तूरी पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 493/17 के माध्यम में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376–घ, 323, 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी–17) पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को मस्तूरी पुलिस थाने द्वारा विवेचना में लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उपनिरीक्षक राम नरेश गौतम (अ.सा. 21) द्वारा विवेचना के दौरान, दिनाँक 21/11/2017 को पीड़िता को सीएचसी मस्तूरी परीक्षण के लिए भेजने हेतु नजरी नक्शा (प्र.पी.–2) तैयार करना, दिनाँक 22/11/2017 को अभियुक्त को सीएचसी मस्तूरी परीक्षण के लिए भेजने हेतु क्रमशः परीक्षण पपत्र (प्र.पी.–27) और (प्र.पी.–28) तैयार करना, उसी दिन दिनाँक 22/11/2017 को अभियुक्त का शारीरिक परीक्षण करवाने के लिए परीक्षण पपत्र (प्र.पी.–29 और प्र.पी.–30) तैयार करना, अभियुक्त विपिन जांगड़े का मेमोरेंडम (प्र.पी.–20) लेना, पीड़िता की दिनांक 21/11/2017 की सफेद रंग का शर्ट, काले रंग की लेगिंग और मैरून रंग के अंडर वियर का जब्ती पत्रक (प्र.पी.–3) जब्त किया गया। पीड़िता, महिला आरक्षी मीना राठौर (अ.सा. 18) ने चिकित्सक द्वारा दिए गए सीलबंद पैकेट में पीड़िता की योनि स्लाइड लाकर प्रस्तुत की, जैसा कि प्र.पी. 23 में बताया गया है, अभियुक्त विपिन जांगड़े से सब्जी काटने वाला चाकू जब्त किया गया, जैसा कि प्र.पी. 18 में बताया गया है, अभियुक्त सुनील कुर्रे से हल्के रंग का उपयोग किया हुआ रूमाल और तीन गांठों वाला बांस का डंडा जब्त किया गया, जैसा कि

प्र.पी. 19 में बताया गया है, अभियुक्त सुनील कुर्रे से एक लाल भूरे रंग का अंडरवियर जब्ती किया गया, जैसा कि प्र.पी. 21 में बताया गया है, अभियुक्त विपिन जांगड़े से एक मेहंदी रंग का अंडरवियर जब्त किया गया, जैसा कि प्र.पी. 22 में बताया गया है, साक्षियों के कथन दर्ज किए गए, अभियुक्तों को दिनांक 21/11/2017 को गिरफ्तारी पत्र (प्र.पी.–31 और प्र.पी.–32) के अनुसार क्रमशः गिरफ्तार किया गया और उनके परिवार के सदस्यों को सूचित किया गया। दिनांक 21/11/2017 को प्र.पी. के रूप में आवेदन दिया गया। अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय मजिस्ट्रेट मस्तूरी को धारा 33 प्रस्तुत की गई, पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के लिए धारा 4 के अनुसार सम्मति ली गई, पीड़िता के माता–पिता द्वारा धारा 7 के अनुसार पीड़िता के शारीरिक परीक्षण के लिए सम्मति दी गई। पीड़िता के कपड़ों की जानकारी के लिए सीएचसी मस्तूरी के माध्यम से आवेदन (धारा 34) दिया गया, अभियुक्त के कपड़ों की जानकारी के लिए सीएचसी मस्तूरी के आरक्षक के माध्यम से आवेदन (धारा 35) भेजा गया और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के संबंध में आरक्षक धीरज कुमार को कर्तव्य प्रमाण पत्र (धारा 36) जारी किया गया और सभी कार्यवाही की गई।

4. समग्र विवेचना के उपरांत, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्ण साक्ष्य पाए जाने पर, धारा 376–छ, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता और धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अधीन अभियोग–पत्र क्रमांक 493/17 तैयार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रकरण के विचारण के दौरान, जब अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376–घ, 323 (सहित धारा 34, 506 ख) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (छ)/6 के अधीन आरोप विरचित किए गए तथा समझाया गया, तो अभियुक्तों ने आरोप के घटकों से इनकार किया और यहाँ तक कि स्वयं के परीक्षण के दौरान भी, अभियुक्तों ने अपने साक्ष्य में उनसे पूछे गए तथ्यों से इनकार किया। सभी प्रतिकूल तथ्यों से इनकार करके, अभियुक्तों ने अपने बचाव में कथन किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6. अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए, अभियोजन ने 21 साक्षियों का परीक्षण कराया और 36 दस्तावेज़ (प्र.पी.–1 से प्र.पी.–36) प्रस्तुत किए। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लिखित अनुसार उन्हें दण्डित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के विपरीत है, अतः यह अपास्त किए जाने योग्य है। चूँकि पुष्टि के प्रयोजनार्थ पुलिस द्वारा ढुंढ़ी सामग्री की जांच में कुछ भी नहीं मिला है,अतः माननीय

न्यायालय आवश्यक सामग्री के अभाव को विचार में रखते हुए इस पर विचार करने और अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि से मुक्त करने की कृपा करे। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय अवैध, मनमाना और विधि की दृष्टि में अनुचित है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में कई विरोधाभास और लोप हैं। किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने से पूर्व उनकी उपयुक्त जाँच नहीं की है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट, जिसे अन्वेषण के लिए भेजा गया था, में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया गया है। अभियोजन ने प्रकरण को अपीलार्थीगण के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित नहीं किया है। इसलिए, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376–घ, 323, 34 और 506–बी के अधीन अपराध अपीलार्थीगण के विरुद्ध विधि के किसी भी पहलू पर साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री के भाई (अ.सा. 3) और अभियोक्त्री के पड़ोसी (अ.सा. 9) द्वारा किए गए कथनों का अवलंब लिया, जो न तो विश्वसनीय है और न ही भरोसेमंद, अतः दोषसिद्धि का आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अभियोजन का पूरा प्रकरण केवल हितबद्ध साक्षियों के कथनों पर आधारित है, इसलिए उक्त साक्षियों के कथनों का अवलंब लेने से पूर्व, विद्वान विचारण न्यायालय को उक्त साक्षियों के कथनों का पूर्ण सावधानी और सतर्कता, सुक्ष्मतापूर्वक परीक्षण करना आवश्यक है, इसलिए दोषसिद्धि का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। अभियोजन ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित नहीं किया है। अतः अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कृष्ण कुमार मलिक विरुद्ध हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी 130** प्रकरण में पारित निर्णय पर भी अवलंब लिया है, जिसके सुसंगत कण्डिकाएँ नीचे उद्धृत हैं:–

> "22. यह स्वीकृत है कि अभियोक्त्री ने अपने कथित अपहरण के बाद मारुति वैन में कुछ दूरी तय की थी, किंतु उसने सहायता के लिए कोई पुकार नहीं लगाई। यह पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके आचरण और व्यवहार को दर्शाता है तथा उसके साक्ष्य को दुर्बल और अविश्वसनीय बनाता है। अभियोक्त्री का यह कथन कि मारुति वैन में कुल 11 व्यक्ति थे, इसे और भी संदिग्ध बनाता है क्योंकि मारुति वैन में 11 व्यक्तियों को बिठाना अत्यंत कठीन होगा, जिसकी बैठने की क्षमता केवल 5 है।
>
> XXXX XXXX XXXX

24. अभियोक्त्री की एकांगी कहानी की ये कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं, विशेषतया तब जब इसकी किसी अन्य साक्ष्य से पुष्टि नहीं हुई है। अभियोक्त्री के कथन और उसके कृत्यों में कई गंभीर विरोधाभासों के कारण, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह निश्चित रूप से कोई सत्य नहीं कह रही थी।

XXXX XXXX XXXX

27. नायब तहसीलदार या विवेचना अधिकारी द्वारा कमरे का आकार दर्शाने के लिए कोई नजरी नक्शा तैयार नहीं किया गया था। यदि कमरे का आकार इतना छोटा होता तो 7 लोगों को रखना और अपीलार्थी को बलात्संग का अपराध करने की अनुमति प्रदान करना संभव नहीं होता। यदि कमरे के आकार की पुष्टि की जा सकती, तो अपीलार्थी द्वारा अपराध करने की उत्पत्ति ही गलत साबित हो जाती। यह तभी पता लगाना संभव हो सकता था जब नजरी नक्शा तैयार किया गया होता। यह जाँच एजेंसी और अभियोजन की ओर से एक कमी थी, जिसका लाभ अपीलार्थी को मिलना ही चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य** (2019) 12 **एससीसी** 460 और **छोटकाऊ विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य** (2023) 6 **एससीसी** 742 प्रकरणों में पारित निर्णय का भी अवलंब लिया, जिसकी सुसंगत कण्डिका नीचे उद्धृत किया गया है:–

"80. यह कहने के पश्चात कि धारा 53–क अनिवार्य नहीं है, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के कण्डिका 54 में पाया कि अभियोज द्वारा डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण, प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है। कण्डिका 54 निम्नानुसार है: (राजेंद्र प्रहलादराव वासनिक प्रकरण 10, एससीसी पृष्ठ 485)

> "54. अभियोजन द्वारा डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यिपूर्ण होगा विशेषतया जब देश में डीएनए प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभियोजन को इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाएगी, विशेषतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53–क व धारा 164–क के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए। हम यह सुझाव देने की हद तक नहीं जा रहे हैं कि यदि डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं है, तो अभियोजन का प्रकरण साबित नहीं हो सकता किंतु हमारा निश्चित रूप से यह मानना है कि जहाँ डीएनए

> प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इस विचारण न्यायालय से रोका गया है, वहाँ अभियोजन के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे।"

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया एवं तर्क किया कि अभियोजन ने साबित कर दिया है कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम थी और यह तथ्य प्र.पी.–16 सी अर्थात दाखिल खारिज पंजी द्वारा पुष्ट होता है जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 03.04.2001 अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना की तिथि अर्थात दिनाँक 18.11.2017 को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम है। इस प्रकार, यह अभियुक्त/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अखंडित साक्ष्य है। अतः अभियुक्त/अपीलार्थीगण को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से दोषसिद्ध किया गया है और दोषसिद्धि का निर्णय विधि की दृष्टि में उचित और न्यायसंगत है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के हकदार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उनके विरुद्ध पूर्वोक्त रूप से विरचित आरोपों के अनुसार अपराध किया है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध विरचित आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, जैसे कि अभियोक्त्री के साथ अत्यंत क्रूर तरीके से सामूहिक बलात्संग करना, जो कि चिकित्सकीय रिपोर्ट से स्पष्ट है, और इसी कारण से, विचारण के दौरान, अपीलार्थीगण को जमानत नहीं दी गई और गिरफ्तारी के बाद से वे जेल में ही रहे। साथ ही, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अपीलार्थी इस न्यायालय द्वारा किसी भी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं। अतः, उपरोक्त तर्कों के आलोक में, अपीलार्थीगण की अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि वे अस्पष्ट, निराधार और गुण–दोष से रहित हैं और तदनुसार खारिज किए जाने योग्य हैं। उन्होंने आगे तर्क किया कि जहाँ तक अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का संबंध है, वर्तमान प्रकरण के तथ्य, जिस प्रकरण का अवलंब लिया गया है, उनके तथ्यों से पूर्णतया भिन्न हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **निर्मल प्रेमकुमार व अन्य विरुद्ध राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, 2024 आईएनएससी 193** में प्रकाशित प्रकरण में पारित निर्णय का भी अवलंब लिया, जिसके सुसंगत कण्डिकाएँ नीचे उद्धृत हैं:–

> "12.गणेशन विरुद्ध राज्य एमएएनयु/एससी/0763/2020: 2020:आईएनएससी: 596: (2020) 10 एससीसी 573 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि पीड़िता का एकमात्र परिसाक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसे

किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है और वह अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

13. इस न्यायालय को राय संदीप विरुद्ध राज्य (एनसआर दिल्ली) एमएएनयु/एससी/0623/2012:2012:आईएनएससी:322:(2012)8 एससीसी 21 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2) (छ) के अधीन सामूहिक बलात्संग के आरोपों से जुड़े एक प्रकरण का निर्णय करने का कार्य सौंपा गया था। न्यायालय ने पाया कि अभियोक्त्री के कथन, शिकायत में कही गई बातों और न्यायालयिक कथन में,पूर्णतः विरोधाभाष था, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं। दोषसिद्धि को पलटते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अअभियोक्त्री को एक 'उत्कृष्ट साक्षी' नहीं माना जा सकता, न्यायालय ने निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. हमारे सुविचारित अभिमत में, 'उत्कृष्ट साक्षी' अत्यंत उच्च गुणवत्ता और योग्यता का होना चाहिए, इसलिए उसका कथन अखंडनीय होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन पर विचारण न्यायालय को बिना किसी संकोच के उसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, उसकी स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह है ऐसे साक्षी द्वारा किए गए कथन की सत्यता होगी। अधिक सुसंगत होगा कथन के प्रारंभ से लेकर अंत तक, अर्थात्, उस समय जब साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक और अंततः कथन करता है। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन के प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। साक्षी को किसी भी लम्बाई की और चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, ज़िम्मेदारी झेलने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और साथ ही उसके क्रम के बारे में किसी भी संदेह की संभावना नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कथन का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे की गई बरामदगी, प्रयुक्त हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ के अभिमत सहित सह–संबंध होना चाहिए। उक्त कथन को हर दूसरे साक्षी के कथन से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध का दोषी ठहरा सके। केवल

तभी जब ऐसे साक्षी का कथन उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू होने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को भी पूरा करता हो, यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसका कथन न्यायालय बिना किसी संपुष्टि के स्वीकार कर सकती है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से, अपराध के मूल पहलू पर उक्त साक्षी का कथन यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी संबंधित सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और तात्विक वस्तुएँ, तात्विक विवरणों में उक्त कथन से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय को अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने के लिए मूल संस्करण का अवलंब लेने में सक्षम बनाया जा सके ताकि अपराधी को कथित आरोप में दोषसिद्ध किया जा सके।

14. कृष्ण कुमार मलिक विरुद्ध हरियाणा राज्य 2011:आईएनएससी:437: (2011) 7 एससीसी 130 में, इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यद्यपि एमएएनयु/एससी/0718/2011 में लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रकरणों में पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य सामान्यतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जाता है, परंतु यदि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य पहचानी गई खामियों और कमियों के कारण अविश्वसनीय और अपर्याप्त पाई जाती है, तो दोषसिद्धि यथावत नहीं रह सकती। निम्नानुसारा यह अभिनिर्धारित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. निस्संदेह, यह सत्य है कि बलात्संग के अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए, अभियोक्त्री का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते कि वह विश्वास प्रेरित करे और पूर्णतः विश्वसनीय, निष्कलंक और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत हो। किंतु, इस प्रकरण में, अभियोक्त्री के साक्ष्य, कई कमियों को दर्शाते हुए, जिनका उपरोक्त पूर्व ही उल्लेख किया जा चुका है, यह दर्शाते हैं कि उसका साक्ष्य उस श्रेणी में नहीं आता है और अपीलार्थी को उक्त अपराधों हेतु दोषसिद्ध किए जाने के लिए उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता।

32. वास्तव में, धारा 164 के उसके कथन, धारा 161 के कथन (दण्ड प्रक्रिया संहिता), प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा न्यायालयिक कथन में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं। इस प्रकार, उसके साक्ष्य की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करवाना आवश्यक था, जो कि वे या तो रितु, उसकी बहन या बिमला देवी जो उसके कथित अपहरण के समय घर में मौजूद थीं,का परीक्षण कराकर कर सकते थे। अभिलेख से ज्ञात होता है कि बिमला देवी को साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, किंतु

उसका परीक्षण नहीं कराया गया और बाद में शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर उन्हें छोड़ दिया कि अपीलार्थी ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है।"

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

13. इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या घटना की तिथि को पीड़िता बालिका थी।

14. अभियोक्त्री की आयु पर विचार करने हेतु, उपनिरीक्षक रामनरेश गौतम (अ.सा.–21) ने दिनांक 16/12/17 को शासकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रस्तुत करने पर, जब्ती पत्रक प्र.पी–15 के अनुसार, आरोप लगाया कि दाखिल खारिज पंजी (प्र.पी–16) (सत्य प्रतिलिपि प्र.पी. 16 सी) जब्त किया गया था और दाखिल खारिज पंजी के आधार पर, पीड़िता की जन्मतिथि 03/04/2001 अंकित की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. विवेचना अधिकारी के कथनों के समर्थन में प्रभारी प्रधान पाठक (अ.सा.–10) ने दाखिल खारिज पंजी प्र.पी–16 (सत्य प्रतिलिपि प्र.पी. 16 सी) को जे.पी. प्र.15 के अनुसार प्रमाणित करके अभियोजन का समर्थन किया है और दाखिल खारिज रजिस्टर के आधार पर पीड़िता की जन्मतिथि 03/04/2001 उल्लेखित है और पीड़िता का कक्षा–1 में प्रवेश और 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना वर्ष 2008 में दर्ज है। इस साक्षी ने कथन किया है कि उक्त प्रविष्टि उसके द्वारा की गई थी और पीड़िता को भी उसके भाई के साथ कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था।

16. पीड़िता की बड़ी बहन (अ.सा.–2) ने अपनी आयु 16 वर्ष और पीड़िता की आयु 13 वर्ष बताई है। हालाँकि, इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में, बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन की आयु के संबंध में कोई खंडन नहीं किया गया है। पीड़िता के छोटे भाई (अ.सा.–3) ने स्वयं को पीड़िता के साथ कक्षा 8 में पढ़ते हुए बताया है और अपनी आयु 12 वर्ष दर्ज कराई है। पीड़िता की माँ (अ.सा.–13) ने बताया है कि उसके 11 संतानें हैं, 6 बालिकाएँ और 5 बालक, और दो बालिकाएँ विवाहित हैं, जबकि पीड़िता और उसका पुत्र (अ.सा.–3) केवल कक्षा–8 में पढ़ते हैं। पीड़िता के पिता (अ.सा.–4) ने कथन किया है कि उनकी 6 पुत्रियों में से 2 का विवाह हो चुका है और पीड़िता चौथी पुत्री है और उसकी आयु केवल 13–14 वर्ष बताई गई है।

17. दख़ल ख़ारिज पंजी के अनुसार, पीड़िता के छोटे भाई (अ.सा.–3) की जन्मतिथि वर्ष 2002 में दिनाँक 05/05/2002 दर्ज की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि वादी का छोटा भाई उससे 01 वर्ष छोटा है। इस प्रकार, यह भी प्रतीत होता है कि पीड़िता को लगभग 7 वर्ष की आयु में कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था, जबकि पीड़िता के छोटे भाई (अ.सा.–3) को 06 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया गया था। इस प्रकार, अभियोजन के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को वर्ष 2008 में लगभग 07 वर्ष की आयु में कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था। पीड़िता ने वर्ष 2013–2014 में पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 2016–2017 में आठवीं कक्षा की पढ़ाई की। पीड़िता का छोटा भाई (अ.सा.–2) उससे एक वर्ष छोटा होने के कारण, उसे भी उसके साथ कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उस्मान विरुद्ध उत्तराखंड राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन यूटी 142** के प्रकरण में, **जरनैल सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य (2013) 7 एससीसी 263** के दिशानिर्देशों का अवलंब लेते हुए, जिसमें यह अवधारित किया है कि पोक्सो प्रकरणों में पीड़िता की आयु किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, पोक्सो नियम, 2007 के नियम 12 (3) के आधार पर अवधारित की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उप–धारा (2) में प्रावधान है कि –

> **94(2)–** यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा–
>
> (i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;
>
> (ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र :
>
> (iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा : परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की

गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

20. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, पीड़िता के 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर, दाखिल खारिज पंजी (प्र.पी.–16) (सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.–16 सी) में दर्ज पीड़िता की जन्म तिथि, 03/04/2001, उसकी वास्तविक जन्म तिथि पाई जाती है एवं उक्त आधार पर, घटना की तिथि 18/11/2017 को, पीड़िता की आयु 16 वर्ष 07 माह और 15 दिन पाई जाती है।

21. ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक थी। परिणामस्वरूप, यह अवधारित होता है कि घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी, अर्थात् उसकी आयु 16 वर्ष 07 माह और 15 दिन थी, जो कि लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत आती है। बालिका परिभाषित "बालक" की श्रेणी में आती है। अतः, अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध कारित करने का अनिवार्य घटक आकृष्ट होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अब इस न्यायालय के समक्ष आगामी अवधारणीय प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या अभियुक्तों ने दिनाँक 18/11/2017 को, घटना की तिथि, समय और स्थान पर, 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ बारी–बारी से बलात्संग करके गुरुतर लैगिक उत्पीड़न किया था?

23. इस संबंध में, चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर, दिनाँक 22/11/2017 को डॉ. एस.के. सिन्हा (अ.सा.–4) द्वारा अभियुक्तों का परीक्षण किया गया और परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी–11 और प्र.पी–12 के अनुसार, अभियुक्त संभोग करने में सक्षम पाए गए, जिसे इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा नकारा नहीं गया। इसी प्रकार, दोनों अभियुक्तों के शारीरिक परीक्षण के संबंध में दिए गए परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी–13 और प्र.पी–14 के आधार पर, यह परिसाक्ष्य दिया गया कि उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। यह कथन किया गया है कि डॉ. आर.एन. कंवर (अ.सा.–7) ने अभियुक्तों से जब्त किए गए अंतर्वस्त्रों के संबंध में एक क्वेरी रिपोर्ट (प्र.पी–10) प्रस्तुत की है और रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट सौंपा है, किंतु अभियोजन द्वारा उक्त जब्त अंतर्वस्त्रों का रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है, केवल क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, तिफरा की रसीद (प्र.पी–25) प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्हें एफएसएल के लिए भेजने की बात कही गई है। उपरोक्त चिकित्सा साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि दोनों अभियुक्त लैंगिक संबंध बनाने में सक्षम हैं।

24. डॉ. पारुल जोगी (अ.सा.–5) ने भी दिनाँक 21/11/2017 को पीड़िता का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी.–9) के अनुसार, यह ज्ञात होता कि पीड़िता को लैंगिक संबंध बनाने के लिए विवश किया गया था। वह लैंगिक संबंध बनाने की आदी नहीं थी और एक योनि स्लाइड तैयार की गई और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजी गई। इस साक्षी ने आगे कथन किया कि चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्र.पी.–9) के आधार पर, पीड़िता की पीठ के बाईं ओर 1 x 5 सेमी का खरोंच, दाईं पीठ के निचले हिस्से पर 1 सेमी लंबा खरोंच, बाईं कलाई पर 2 x 2 सेमी का एक घाव, दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर दर्द, लेबिया मेजोरा के बाईं ओर 1 x 1 सेमी की सूजन और दर्द, हाइमन के 6 बजे के स्थान पर एक घाव जो योनि की ओर जा रहा था और दो से तीन दिन पुराना था, गर्भाशय ग्रीवा बिल्कुल नुकीली थी और ट्यूब भी बिल्कुल नुकीली थी और योनि में उंगली डालने पर दर्द हो रहा था।

इस साक्षी ने निश्चित रूप से कथन किया है कि पीड़िता के साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इस प्रकार, महिला चिकित्सा साक्षी का परिसाक्ष्य इस बात की पुष्टि करता है कि पीड़िता के साथ बलपूर्वक संभोग किया गया था और उसके शरीर पर सामान्य प्रकृति की चोटें आईं थीं और यह भी स्पष्ट है कि जो चोटें आईं थीं, वे बलपूर्वक संभोग के दौरान लगी थीं।

26. इसके अतिरिक्त, दस्तावेज़ों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि यद्यपि एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्श के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है, किंतु इसे वर्तमान अपील के अभिलेखों के साथ संलग्न किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वस्तु A, C और E पर मानव शुक्राणु पाए गए थे, जो क्रमशः पीड़िता की स्लाइड, पीड़िता की लेगिंग और अपीलार्थी सुनील कुमार के अंडरवियर हैं। इस प्रकार, एफएसएल रिपोर्ट **सकारात्मक** पाई जाती है।

27. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अधीन, पीड़िता के पिता (अ.सा.–4) ने न्यायालयिक कथन दिया है कि घटना के दिन वह अपनी पत्नी और दो बालकों के साथ उत्तर प्रदेश कमाने गए थे। रात के 8:00 बजे उनकी बड़ी पुत्री (पीड़िता की बड़ी बहन) ने फोन करके बताया कि जब वह खाना बना रही थी, तो उसे शौचालय के पास से एक आवाज़ सुनाई दी। जब वह बाहर गई और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने देखा कि दोनों अभियुक्त शौचालय से बाहर आ गए थे और भाग गए थे। उस समय, बालकों ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे यह भी बताया था कि पीड़िता शौचालय में बंधी हुई थी और वह उसे बाहर ले गई थी। जिसके बाद वह लगभग एक सप्ताह बाद वापस लौटे, किंतु उससे पहले ही पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।

28. पीड़िता (अ.सा.–13) की माँ ने यह भी कथन किया है कि उसकी बड़ी पुत्री ने उसे फ़ोन पर बताया था कि उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त ने घर के बाथरूम में बलात्संग किया है, जिसके बाद वे लगभग आठ दिन बाद घर लौटे थे।

29. पीड़िता के छोटे भाई (अ.सा.–3) ने न्यायालयिक कथन दिया है कि घटना वाले दिन जब वह रात को खेलकर वापस आया, तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और उसकी बड़ी बहन पीड़िता के काफी देर तक वापस न आने पर बाथरूम पहुँची थी। बड़ी बहन के बताने पर वह भी बाथरूम पहुँचा, तभी अभियुक्त बाथरूम से बाहर आया और भाग गया। पीड़िता बाथरूम के अंदर गिर गई थी, पीड़िता से पूछने पर उसने बताया कि अभियुक्त ने उसका मुँह दबाकर, डंडे से पीटकर, चाकू निकालकर और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया था। साथ ही, उसके हाथ–पैर भी बाँध दिए गए थे। जब अभियुक्त भाग रहे थे, तो उसने उन्हें गालियाँ दीं, फिर आवाज़ सुनकर उनका पड़ोसी (अ.सा.–9) वहाँ पहुँच गया, उसे पूरी बात बताने पर, उसे रात होने के कारण सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया, फिर उसने अपने माता–पिता को फ़ोन पर घटना की जानकारी दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. पीड़िता की बड़ी बहन (अ.सा.–2) ने यह भी आरोप लगाया है कि रात 9:00 बजे जब वह खाना बना रही थी, तो पीड़िता घर के पास बने शौचालय में गई और कुछ देर बाद भी वापस नहीं लौटी। फिर खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर जब वह वहाँ गई, तो अभियुक्त शौचालय से बाहर आया और भाग गया। फिर उसने उन्हें गालियाँ दीं और शौचालय में देखने पर उसने पीड़िता को बंधा हुआ पाया, वह रो रही थी। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसके हाथ–पैर बाँध दिए, उसे पकड़ लिया, पीटा, चाकू दिखाया और धमकाया और उसके साथ बलात्संग किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि पहले विपिन ने उसके साथ बलात्संग किया, उसके बाद अभियुक्त सुनील ने उसके साथ बलात्संग किया और उन्होंने बारी–बारी से उसके हाथ–पैर पकड़े। इस साक्षी ने आगे कथन किया कि जब वह अभियुक्त को गालियाँ दे रही थी, तो एक पड़ोसी आया और उसने यह सब सुना, जिसने उसे घटना के बारे में बताया, जिस पर उसका भाई भी आया और उसने यह सब सुना और अभियुक्त को गालियाँ दीं। लेकिन पड़ोसी ने उन्हें समझाया और घर भेज दिया, जिसके बाद अगले दिन रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी ने आगे कथन किया कि उसने पुलिस को बताया था कि अभियुक्तों ने उसके हाथ–पैर बाँध दिए थे, उसे पकड़ रखा था और एक के बाद एक उसके साथ बलात्संग किया। इस साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि घटना के समय पीड़िता को बाथरूम से बाहर आते नहीं देखा गया था, जबकि यह भी स्वीकार किया गया है कि घटना के समय बाथरूम की लाइट बंद थी, और पुलिस को दिए बयान में यह भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तों ने पीड़िता के मुँह, हाथ–पैर बाँध दिए थे। उसका छोटा भाई खेलने के लिए बाहर गया था जब उसकी बहन खाना बनाते समय बाथरूम में बंद थी, और जब उसके भाई ने उसकी चीखें

सुनीं और मौके पर आया, तो यह स्पष्ट हो गया है कि उसका छोटा भाई अभियुक्तों के भाग जाने के बाद वहाँ पहुँचा था। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीड़िता ने बताया कि अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्संग किया था।

31. इस साक्षी के न्यायालयिक कथन से ज्ञात होता है कि रात लगभग 8:00 बजे जब वह खाना बना रही थी, पीड़िता घर के बाहर शौचालय गई थी और जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो इस साक्षी ने बाथरूम से खड़खड़ाहट की आवाज सुनी और जब वह वहाँ पहुँची, तो उसने पूछा कि वह कौन है, तो उसने अभियुक्त को बाथरूम से बाहर भागते हुए देखा। उसके चिल्लाने पर उसका छोटा भाई (अ.सा.–3) भी वहाँ पहुँच गया। उसके गाली–गलौज करने पर पड़ोसी (अ.सा.–9) भी वहाँ पहुँच गया, जिसने रात होने के कारण उन्हें शांत कराया और सुबह गाँव वालों को बताने और रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। इस साक्षी के न्यायालयिक कथन से यह भी ज्ञात होता है कि पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके हाथ, पैर और मुँह बंधे हुए थे और अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया था, जिसके आधार पर इस साक्षी ने बताया कि पीड़िता के हाथ–पैर बंधे हुए थे। यह साक्षी घटना के बाद की परिस्थितियों का भी चक्षुदर्शी साक्षी प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. पीड़िता (अ.सा.–1) ने अपने दर्ज कथन (प्र.पी.–6) में कहा है कि जब वह बाथरूम गई और बाथरूम से बाहर आई, तो अभियुक्त विपिन ने उसकी पिटाई की। उसे पकड़कर, उसका मुँह बंद करके, अभियुक्त सुनील उसे बाथरूम में ले गया और उसके कपड़े उतार दिए। इसके बाद, पहले विपिन और फिर सुनील ने उसके साथ बलात्संग किया। अभियुक्त विपिन ने उसका मुँह तौलिए से ढक दिया जिससे वह चीख न सके और जब अभियुक्त उसके साथ अपराध करने के बाद भाग रहे थे, तो उसकी बहन ने उन्हें देख लिया। अभियुक्त विपिन ने उसे चाकू दिखाया और कहा कि यदि उसने अपने माता–पिता को बताया, तो वह उसे मार डालेगा और उसे डंडे से पीटा और अपराध करने के बाद दोनों बाथरूम से भाग गए। घटना के तुरंत बाद, पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को घटना के बारे में बताया।

33. पीड़िता (अ.सा.–1) ने अपने न्यायालयिक कथन में कहा है कि जब वह बाथरूम गई, तो अभियुक्त विपिन ने उसका मुँह, हाथ और पैर बाँध दिए और उसके कपड़े उतारकर अपना पेशाब करने की जगह को उसके पेशाब करने की जगह में डाल दिया। अभियुक्त सुनील ने शिकायतकर्ता का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद उसने भी अपने कपड़े उतार दिए और उसके साथ बलात्संग किया। उस समय अभियुक्त विपिन ने उसे चाकू दिखाकर धमकी दी कि यदि उसने अपने माता–पिता को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा और दोनों ने उसकी पीठ पर डंडे से वार किया। उसी दौरान, जब उसकी बहन आई, तो दोनों ने दरवाजा खोला और भाग गए। घटना के समय, उसका भाई खेलने गया था और वह भी वापस आ गया। जब उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उनका पड़ोसी भी वहाँ आ गया। पीड़िता ने अपने

न्यायालयिक कथन में यह भी कहा है कि एक साल पहले, जब वह खेत में गोबर इकट्ठा करने गई थी, तो अभियुक्त ने चाकू दिखाकर उसके साथ बलात्संग किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसने इस घटना के बारे में पहले किसी को नहीं बताया था। इसके अतिरिक्त, घटना वाले दिन, अभियुक्त ने बिना कपड़ों के एक–एक करके तस्वीरें भी लीं।

34. इस प्रकार, पीड़िता का परिसाक्ष्य पीड़िता के भाई–बहनों और चिकित्सकीय साक्षियों की साक्ष्य से पुष्ट होती है। पीड़िता और चिकित्सकीय साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि दिनाँक 18/11/2017 की रात लगभग 8:00 बजे, पीड़िता के घर के आँगन में स्थित शौचालय के अंदर, अभियुक्तों ने पीड़िता पर चाकू दिखाकर और डंडे से वार करके हमला किया। पीड़िता की पिटाई करके, उसका मुँह रूमाल से बाँधकर और उसके पैर कपड़े से बाँधकर, उन्होंने समान आशय से बारी–बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया, और सामूहिक लैंगिक संबंध बनाए गए, और गुरुतर लैंगिक उत्पीड़न किया गया और उक्त कृत्य के दौरान, पीड़िता को समान आशय से पीटकर उसे स्वेच्छा से उपहति कारित की गई, और उसे चाकू से धमकाकर और डंडे से पीटकर, और किसी को न बताने की धमकी देकर, दाण्डिक अभित्रास कारित किया प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. भारतीय समाज में, संपुष्टि के अभाव में लैंगिक उत्पीड़न की पीड़िता की परिसाक्ष्य पर कार्रवाई करने से इनकार करना, आमतौर पर, चोट पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत के परंपरा–बद्ध अनुमतिहीन समाज में एक बालिका या महिला यह स्वीकार करने में भी बेहद संकोच करेगी कि उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जिससे उसकी पवित्रता पर आंच आने की संभावना हो। वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के संकट से अवगत होगी और जब इन कारकों के सामने अपराध प्रकाश में आता है, तो अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत नहीं बल्कि वास्तविक है। जिस प्रकार एक साक्षी जिसे ऐसी चोट लगी है, जो दिखाई नहीं देता या ऐसा माना नहीं जाता कि उसने स्वयं को चोट पहुचाई है, वह इस अर्थ में सर्वोत्तम साक्षी है कि उसके वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करने की संभावना सबसे कम है, लैंगिक अपराध की पीड़िता का साक्ष्य, संपुष्टि के अभाव के बावजूद, बहुत अधिक महत्व का हकदार है। बलात्संग की शिकार महिला या बालिका कोई सहयोगी नहीं है। बलात्संग के प्रकरण में दोषसिद्धि के लिए संपुष्टि अनिवार्य शर्त नहीं है। **रामेश्वर विरुद्ध राजस्थान राज्य (एआईआर 1952 एससी 54)** में न्यायमूर्ति विवियन बोस की टिप्पणियाँ निम्नानुसार थीं:

> "यह नियम, जो मामलों के अनुसार कानून का एक कठोर नियम बन गया है, यह नहीं है कि दोषसिद्धि से पहले संपुष्टि आवश्यक है, बल्कि यह है कि संपुष्टि की आवश्यकता, विवेक के प्रकरण के तौर पर, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ

इसके बिना काम चलाना सुरक्षित हो, न्यायाधीश के मन में अवश्य मौजूद रहनी चाहिए..."।

36. सामान्यतः महिलाओं के विरुद्ध अपराध और विशेष रूप से बलात्संग की घटनाएँ बढ़ रही हैं। यह एक विडंबना है कि जहाँ हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, वहीं हम उनके सम्मान के प्रति बहुत कम या बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाते। यह लैंगिक अपराधों की पीड़ितों की मानवीय गरिमा के हनन के प्रति समाज के उदासीन रवैये का एक दुखद प्रतिबिंब है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक बलात्कारी न केवल पीड़िता की निजता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान भी पहुँचाता है। बलात्संग केवल एक शारीरिक हमला नहीं है – यह अक्सर पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपनी पीड़िता के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को ही अपमानित करता है। इसलिए, बलात्संग के आरोप में किसी अभियुक्त पर अभियोजन चलाते समय न्यायालय एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। उन्हें ऐसे प्रकरणों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए। न्यायालयों को किसी प्रकरण की व्यापक संभावनाओं का परीक्षण करना चाहिए और अभियोजन के कथन में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन के प्रकरण को खारिज न कर दें। यदि अभियोजन के साक्ष्य विश्वास प्रेरित करते हैं, तो उसके कथन की संपुष्टि के लिए तात्विक विवरणों की माँग किए बिना उसका अवलंब लिया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसके परिसाक्ष्य का पूर्ण अवलंब लेना कठीन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी परिसाक्ष्य को आश्वस्त कर सके, सह–अभियुक्त के प्रकरण में आवश्यक संपुष्टि से कम। अभियोजन की साक्ष्य की पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में विवेचना की जानी चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति सजग रहना चाहिए और लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों का निराकरण करते समय संवेदनशील होना चाहिए। यह स्थिति **पंजाब राज्य विरुद्ध गुरमीत सिंह (1996 (2) एससीसी 384)** में उजागर की गई थी।

37. लैंगिक अपराध की अभियोक्त्री को किसी सह–अभियुक्त के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम कहीं भी यह नहीं कहता कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी महत्वपूर्ण विवरणों से संपुष्टि न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के अधीन एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के प्रकरणों में आहत व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी किसी आहत शिकायतकर्ता या साक्षी के प्रकरण में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय को इस तथ्य का विचार में रखना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा विरचित आरोप के परिणाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे विचार में रखता है और समाधान महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में धारा 114 के उदाहरण (ख) के समान कोई विधि या व्यवहार शामिल नहीं है, जिसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्त्री की साक्ष्य पर पूर्णतः अवलंब लेने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी साक्ष्य को संपुष्ट कर सके, जो कि किसी सह अभियुक्त के प्रकरण में आवश्यक संपुष्टि से कम हो। अभियोक्त्री की साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। किंतु यदि अभियोक्त्री वयस्क है और पूरी समझ रखती है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का हकदार है, जब तक कि वह दुर्बल और अविश्वसनीय न हो। यदि प्रकरण के अभिलेख में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता से ज्ञात होता है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस हेतुक नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

38. **राय संदीप उर्फ दीनू विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य,** 2012 (8) **एससीसी** 21 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "हमारी सुविचारित राय में, 'उत्कृष्ट साक्षी' बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, जिसका बयान अखंडनीय होना चाहिए। ऐसे साक्षी के बयान पर विचार करने वाला न्यायालय बिना किसी संकोच के उसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह है ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए बयान की सत्यता। अधिक सुसंगत होगा न्यायालयिक कथन की शुरुआत से लेकर अंत तक, अर्थात्, उस समय जब साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक और अंततः बयान देता है । यह स्वाभाविक और सुसंगत होना चाहिए अभियोजन के प्रकरण के साथ अभियुक्त के रूप में । ऐसे साक्षी के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। साक्षी किसी भी लंबाई और चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, ज़िरह का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और घटना का तथ्य, इसमें शामिल व्यक्ति, और साथ ही उसका क्रम किसी भी परिस्थिति में किसी भी संदेह की संभावना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे बरामदगी, प्रयुक्त हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ के अभिमत से सहसंबंध होना चाहिए। उक्त विवरण हर दूसरे साक्षी के विवरण से लगातार मेल

खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ अभियुक्त को उसके विरुद्ध कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी गायब कड़ी नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का विवरण उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को भी पूरा करता हो, यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को एक 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसका विवरण न्यायालय द्वारा बिना किसी संपुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त साक्षी का विवरण यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और तात्विक वस्तुएँ, तात्विक विवरणों में उक्त संस्करण से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध का विचारण कर रहा न्यायालय, अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने के लिए मूल संस्करण का अवलंब लिया जा सके और अपराधी को आरोपित आरोप का दोषी ठहराया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. **नवाबुद्दीन विरुद्ध उत्तराखंड राज्य** (दाण्डिक अपील क्रमांक 144/2022) में दिनाँक 8.2.2022 को पारित निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

10. ऊपर्युक्त उद्देश्य को विचार में रखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के अधीन बालकों को लैंगिक हमलें, लैंगिक उत्पीड़न जैसे अपराधों से बचाने के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसे पूर्ण करने हेतु पोक्सो अधिनियम, 2012 बनाया गया है। बालकों के साथ लैंगिक हमला या लैंगिक उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बालकों पर लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न के कृत्य के अनुसार उचित दण्ड देकर, पूरे समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि यदि कोई भी पोक्सो अधिनियम के तहत लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न या पोर्नोग्राफिक प्रयोजनार्थ बालकों का इस्तेमाल करने का कोई अपराध करता है, तो उसे उचित दण्ड दिया जाएगा और उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बालकों पर लैंगिक हमला या लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण गलत कृत्यों

के उदाहरण हैं। संभोग की लालसा, जहाँ मासूम बालकों को भी ऐसे घृणित लैंगिक आनंद के लिए नहीं बख्शा जाता।

बालक हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की उम्मीद उन पर टिकी है। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे देश में, एक बालिका बहुत दुर्बल अवस्था में है। उसके शोषण के कई तरीके हैं, जिसमें लैंगिक हमला और/या लैंगिक दुर्व्यवहार शामिल है। हमारे अनुसार, इस तरह से बालकों का शोषण करना मानवता और समाज के विरुद्ध अपराध है। इसलिए, बालक और विशेषतः बालिकाएँ पूरी सुरक्षा की हकदार हैं और उन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने **राजस्थान राज्य विरुद्ध ओम प्रकाश,** (2002) 5 **एससीसी** 745 के प्रकरण में अवधारित एवं अभिनिर्धारित किया है, बालकों को विशेष देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रकरणों में, न्यायालय का दायित्व अधिक होता है कि वे इन बालकों को उचित विधिक संरक्षण प्रदान करें। **निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत संघ,** (2019) 2 **एससीसी** 703 के प्रकरण में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक अवयस्क जो लैंगिक शोषण का शिकार होता है, उसे एक वयस्क पीड़िता से भी ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक वयस्क पीड़िता वयस्क होने पर भी समाज द्वारा किए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना का सामना कर सकती है, लेकिन एक अवयस्क पीड़िता के लिए ऐसा करना कठीन होगा। अवयस्क पीड़ितों के विरुद्ध अधिकतर अपराधों की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है, क्योंकि प्रायः ऐसा करने वाला पीड़िता के परिवार का सदस्य या करीबी दोस्त होता है। इसलिए, बालक को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए, पोक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध करने वाले अभियुक्त के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती, विशेषतया तब जब यह न्यायालय के सामने पर्याप्त साक्ष्यों से साबित हो जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. जब किसी लैंगिक अपराध की शिकार पीड़िता के साक्ष्यों पर विचार किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि न्यायालय घटना का लगभग सही ब्यौरा मांगे। इसके बजाय, इस बात पर बल दिया जाता है कि पीड़िता को घटनाओं की अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर अपना बयान देने दिया जाए, जहां तक उसके लिए याद करना उचित रूप से संभव हो। यदि न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को विश्वसनीय और बिना किसी संदेह के मानता है, तो उस बयान की संपुष्टि पर शायद ही कोई बल दिया जाता है। **हि.प्र. राज्य**

विरुद्ध श्री कांत शेखर (2004) 8 **एससीसी** 153 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:"

> "21. यह सुस्थापित तथ्य है कि यदि कोई अभियोक्त्री बलात्संग के अपराध की पीड़िता होने की शिकायत करती है, तो वह अपराध की सहभागी नहीं होती। विधि का कोई नियम नहीं है कि उसके परिसाक्ष्य पर आवश्यक तथ्यों की संपुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह आहत साक्षी से अधिक ऊँची स्तर पर होती है। पश्चातवर्ती प्रकरण में, चोट शारीरिक रूप से होती है, जबकि पूर्ववर्ती प्रकरण में यह शारीरिक के साथ–साथ मानसिक और भावनात्मक भी होती है। यद्यपि, यदि न्यायालय को तथ्यों के आधार पर अभियोक्त्री के बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना कठीन लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिज्न्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसके परिसाक्ष्य को विश्वास मजबूती देगा। सहभागी के प्रकरण में, संपुष्टि के अभाव में, विश्वास ही काफी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिवशरणप्पा व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य,** (2013) 5 **एससीसी** 705 में यह अभिनिर्धारित किया:

> "17. इसलिए, विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय एक बाल साक्षी के साक्ष्य का अवलंब ले सकता है और यदि वह सत्य, विश्वसनीय है और अभिलेख पर लाए गए अन्य साक्ष्यों से भी उसकी संपुष्टि होती है, तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि समझदारी के नियम के तौर पर, न्यायालय को लगता है कि अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से भी संपुष्टि देखना सही है। साक्षी के एकमात्र कथन का अवलंब लेने के लिए जो सिद्धांत लागू होते हैं, अर्थात्, यह कि कथन सत्य और उचित है और गुणवत्तापूर्ण है और केवल संपुष्टि की कमी के आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता, वे उस बाल साक्षी पर भी लागू होते हैं जो सक्षम है और जिसका कथन विश्वसनीय है।"

42. उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध सोनू कुशवाहा,** (2023) 7 **एससीसी** 475 के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है:

"12. पोक्सो अधिनियम अलग–अलग प्रकार के बालकों के साथ दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड देने के लिए बनाया गया था और इसीलिए पोक्सो अधिनियम के धारा 4, 6, 8 और 10 में बालकों पर होने वाले अलग–अलग तरह के लैंगिक हमलों के लिए न्यूनतम दण्ड निर्धारित किया गया है। इसलिए, धारा 6, अपनी आसान भाषा में, न्यायालय पर कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं छोड़ता है और विचारण न्यायालय की तरह न्यूनतम दण्ड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जजब कोई दंडात्मक प्रावधान इस वाक्यांश "से कम नहीं होगा...." का उपयोग करता है, तो न्यायालय उस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते और कम दण्ड अधिरोपित नहीं कर सकते। न्यायालय ऐसा करने में तब तक शक्तिहिन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट विधिक नियम न हो जो न्यायालय को कम दण्ड अधिरोपित करने में सहायता करे। यद्यपि, हमें पोक्सो अधिनियम में ऐसा कोई नियम नहीं मिला। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश भुगतने के उपरांत जीवन में आगे बढ़ गया हो, कोई प्रश्न ही नहीं है कि उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके तथ्य के अतिरिक्त कि विधि में न्यूनतम दण्ड का प्रावधान है, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत विभत्स है जिसके लिए अत्यंत कठोर दण्ड की आवश्यकता है। इस घृणित कृत्य का प्रभाव पीड़िता/बालक के मन में जीवन भर रहेगा। इसका प्रतिकूल प्रभाव पीड़िता के स्वस्थ विकास पर पड़ना तय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि घटना के समय पीड़िता की आयु बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. साक्ष्यों के ऊपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, अभियोजन बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में सक्षम रहा है कि घटना की तारीख को, अभियोक्त्री बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी और वह "बालक" की श्रेणी में आती थी तथा अभियुक्त और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने, घटना की तारीख, समय और स्थान पर, अवयस्क पीड़िता, जिसकी आयु 18 साल से कम थी, के साथ बारी–बारी से, उसकी इच्छा और सम्मति के बिना, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला किया।

44. धारा 376(घ) सामुहिक बलात्संग– जहाँ किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या समान आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है ।

45. जैसा कि ऊपर्युक्त, **धारा 376(घ)** में परिभाषित सामुहिक बलात्संग तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से इस तथ्य का पूर्णतः समाधान होता है कि इस अपराध को कारित करने में प्रत्येक अभियुक्त ने प्रत्यक्ष रुप से भाग लिया है।

46. पीड़िता (अ.सा.–1) के साक्ष्य, जिसने हर अपीलार्थी की विशेष भूमिका बताई है, साक्षियों पीड़िता की मां और पिता, पीड़िता की बहन (अ.सा.–2) और पीड़िता के भाई (अ.सा.–3) के साक्ष्य, और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट पर विचार करते हुए, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पीड़िता की स्लाइड, लेगिंग्स और अंडरवियर में सुनील कुर्रे के वीर्य के धब्बे और मानव वीर्य पाए गए थे, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पीड़िता के साथ लैंगिक संभोग हुआ था और चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्र.पी.–9) जिससे यह पुष्ट होता है कि बलपूर्वक संभोग के दौरान पीड़िता को चोटें आई थीं, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और ऊपर्युक्त निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा यह अभिमत है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण– **विपिन कुमार जांगड़े** एवं **सुनील कुर्रे** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376–घ ,323/34, 506(ख) के अधीन अपराध हेतु उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. फलस्वरुप, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपना प्रकरण सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को एतद्द्वारा यथावत रखा जाता है। वर्तमान दाण्डिक अपील सारहीन है एवं तदनुसार **खारिज** की जाती है।

48. अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी जेल में हैं। उन्हें विचारण न्यायालय के आदेशानुसार दण्ड भुगतना होगा।

49. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक जहां अपीलार्थीगण कारावास का दण्ड भुगत रहे हैं, को प्रेषित की जाए ताकि अपीलार्थीगण को यह सूचित किया जा सके कि वे इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं, इसके लिए वह इस न्यायालय के विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता ले सकते हैं।

50. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि एवं मूल अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

सही/– (बिभु दत्त गुरु) **न्यायाधीश**	सही/– (रमेश सिन्हा) **मुख्य न्यायाधिपति**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur